न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी, संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू

प्रार्थना-पत्र संख्या 17 सन् 2018 दायरा दिनांक 31.1.2018

हरदयालसिंह पुत्र झाबरसिंह, जाति जाट, निवासी गांव बाटडानाउ, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

-प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
2. परियोजना प्रबन्धक कार्यान्वयन इकाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्लॉट संख्या 187 व 188, विनायक विहार, पिपराली सर्किल झुझूंनूं बाईपास, सीकर
3. सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एन.एच. 65(फतेहपुर पाली खण्ड) सालासर फतेहपुर सैक्शन उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू

-अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री भीमनाथ सिद्ध, श्री भागीरथ सिद्ध, अधिवक्ता - प्रार्थी
2. श्री हजारीसिंह राठौड़, अधिवक्ता - अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री दीपक शर्मा, श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता - अप्रार्थी संख्या 2

-:: निर्णय ::- दिनांक 30.12.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 875/61 रोही ग्राम न्यामा, तहसील सुजानगढ़ में से 4940 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 65 (सालासर/फतेहपुर सेक्शन) के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'अधिनियम 1956' संबोधित किया जाएगा) की धारा 3-ए की अधिसूचना दिनांक 4.12.2008 को जारी की गई थी। भूमि की अवाप्ति हेतु धारा 3-डी की उद्घोषणा दिनांक 23.9.2009 को जारी की गई तथा अवार्ड दिनांक 24.9.2010 को जारी किया गया। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी करने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा मनमाने तरीके से यह अवार्ड पारित किया गया है। अवार्ड जारी करते समय 2007-08 में जिलास्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दर को आधार माना गया है जबकि भूमि की बाजार दर इससे कहीं अधिक है। अवार्ड के संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई है उसका दो समाचार-पत्रा में, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होना चाहिए, में प्रकाशन आवश्यक था, जबकि इस प्रावधान की पालना नहीं की गई है। भूमि की अवाप्ति में कोई सार्वजनिक हित निहित नहीं है, बल्कि सड़क बनाकर इस पर टोल की वसूली की जाएगी। वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे 'अधिनियम 2013' संबोधित किया जाएगा) के प्रावधानों का

जिला कलेक्टर
चूरू

भी अवलोकन नहीं किया गया है। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी ने केवल क्षेत्रीय दर को आधार बनाकर अवार्ड जारी कर दिया है जबकि उन्हें पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए बाजार दर से निर्धारण करना चाहिए था। अन्त में प्रार्थना की है कि भूमि की कीमत डी.एल.सी. दर की 5 गुणा प्रति बीघा दिलवायी जावे तथा अधिसूचना से भुगतान तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज राशि दिलवायी जावे। साथ ही 100 प्रतिशत सोलेसियम का भुगतान भी कराया जाए। चूंकि अवाप्तशुद्धा भूमि का भौतिक कब्जा अभी तक प्रार्थी के पास है। ऐसी स्थिति में अवार्ड की राशि की गणना अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जाए। अन्त में प्रार्थना-पत्रा स्वीकार किया जाकर उक्त अनुसार अवार्ड का पुनर्निर्धारण करने की प्रार्थना की।

2. अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अपने उत्तर में जाहिर किया गया कि अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर, जयपुर व दैनिक समाचार चौकी, चूरू में दिनांक 17.2.2009 के अंक में कराया गया था। नियमानुसार निर्धारित अवधि में हिताधिकारी व्यक्तियों को 21 दिवस में आपत्ति दर्ज करने का अवसर उद्घोषणा में दिया गया था। इस अवधि के दौरान कोई अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। आपत्ति को सुनने के उपरान्त ही अधिनियम, 1956 की धारा 3-डी के अनुसार सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किया जाता है। अवार्ड का निर्धारण अधिनियम, 1956 की धारा 3-जी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अधिनियम, 1956 की धारा 3-ए की अधिसूचना के प्रकाशन के समय प्रचलित दर के आधार पर ही अवार्ड जारी करने का प्रावधान है। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित जिलास्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही अवार्ड जारी किया गया है, जो नियमानुसार है। प्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान भी किया गया है। प्रार्थी ने भूमि की दर का निर्धारण डी.एल.सी. दर की 5 गुणा प्रति बीघा से करने की प्रार्थना की है जबकि उसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। यह अवार्ड दिनांक 24.9.2010 को जारी किया गया है तथा उस समय अधिनियम, 2013 अस्तित्व में नहीं था, ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का पुनर्निर्धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण आमजन के लिए आधारभूत सुविधा मानी गई है तथा इसका उद्देश्य राष्ट्र की नीति एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है न कि टोल वसूल करना। भूमि की अवाप्ति लोकप्रयोजनार्थ ही की गई है। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.9.2010 को घोषित अवार्ड में आपत्ति अब प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नहीं है। अन्त में प्रार्थना-पत्रा को खारिज करने की प्रार्थना की।

3. प्रकरण में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की मूल पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्रा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी को अवार्ड के संबंध में जारी अधिसूचना एवं उद्घोषणा के बारे में कोई जानकारी नहीं

जिला कलेक्टर

थी तथा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व था कि वह रिकॉर्डेड खातेदार को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर देता ताकि वह अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता। प्रार्थी को इसकी सर्वप्रथम सूचना तब हुई जब इस न्यायालय के प्रार्थना-पत्र संख्या 59/2015 अनवान प्रतापसिंह आदि बनाम भारत संघ आदि निर्णय दिनांक 3.1.2018 के पक्षकारों द्वारा अपने पक्ष में हुए फैसले की बात बतलाई गई। जहाँ तक देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है इस संबंध में पंचनिर्णायक के समक्ष प्रार्थना-पत्रा प्रस्तुत करने हेतु अधिनियम, 1956 में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। प्रश्नगत अवाप्त की गई भूमि का कब्जा वर्तमान में प्रार्थी के पास है इसलिए प्रार्थी को अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिये। साथ ही सोलेशियम आदि का भुगतान भी कानून के प्रावधानों के अनुसार कराया जाए।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में पूर्व में दिए गए उत्तर में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम में जो पंजीयन की दर है उसी आधार पर विक्रय-पत्रा पंजीकृत होते हैं तथा उसे ही बाजार दर निर्धारण के लिए आधार बनाया जाता है। विवादित अवार्ड अधिसूचना के प्रकाशन के समय प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर ही जारी किया गया है जो नियमानुसार है। अवार्ड दिनांक 24.9.2010 है अधिनियम 2013 उक्त दिनांक को प्रभावी नही था। इसलिए अधिनियम 2013 के अनुसार अवार्ड जारी नही किया जा सकता है। अन्त में प्रार्थना-पत्रा को खारिज करने की प्रार्थना की।

6. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जो अवार्ड जारी किया गया है वह 2007-08 के उस ग्राम की जिलास्तरीय समिति की दर के आधार पर जारी किया गया है। यह बात भी सही है कि प्रार्थीगण द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन की अवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी तब अवार्ड दिनांक 24.9.2010 को जारी किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये भूमि अधिग्रहण के मामलों में अधिनियम 2013 के अनुसार दर निर्धारण के प्रावधान दिनांक 1.1.2015 से लागू हुए हैं। चूंकि अवार्ड दिनांक 24.9.2010 को ही जारी किया जा चुका था ऐसे में अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण नही किया जा सकता है।

7. प्रार्थी की खातेदारी में से अवाप्त की गई भूमि कृषि भूमि थी जिसका मुआवजा तत्कालिन समय प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार प्रार्थी को दिया जा चुका है। प्रार्थी की भूमि संपरिवर्तन शुदा भूमि नही होने व गांव की आबादी भूमि नही होने के कारण प्रार्थी की भूमि का आवासीय भूमि के अनुसार मुआवजा नही दिया जा सकता है। भूमि अवाप्ति के समय बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर से ही किया जाता है। जहां तक डी.एल.सी. दर का पांच गुणा मुआवजा दिये जाने का है तो प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस तथ्य पेश नही किया जिसके आधार पर इस

जिला कलेक्टर
चूरू

बिन्दू पर विचार किया जावें। कहने मात्र से भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. दर का पांच गुणा नही माना जा सकता है। धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक जो डी.एल.सी. दर प्रभावी थी उसके अनुसार मुआवजा अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति उचित नही है।

8. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़) द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 24.9.2010 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नही है। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संदेश नायक)
आर्बिट्रेटर(जिला कलक्टर), चूरू